न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 255/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
प्रवीण कुमार पुत्र प्रभूराम गौड जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मी नगर, बाडमेर		1– भूराराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी भाण्डीयावास तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर 2– ठाकराराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी भाण्डीयावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2014 जो राजस्व प्रकरण संख्या 18/2012 अनवान भूराराम बनाम राजस्थान सरकार वगेरा मे उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री प्रेमकुमार देवडा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–12–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 भूराराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर प्रकट किया कि सरहद मौजा भाण्डियावास के खसरा नंबर 10 मे से प्रार्थी के पूर्वजो को भूमि आंवटित हुई थी तथा उसी अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है तथा कथन किया कि खसरा नंबर 10 के नक्शा किश्तवार मे कोई तरमीम दिनांक 7–7–2010 तक नही थी तथा विप्रार्थी संख्या 2 ठाकराराम या उनके पूर्वजो का उक्त भूमि के सडक की तरफ के हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 ठाकराराम ने अनुचित तरीके से काबिज खातेदार टिनेन्ट प्रार्थी को नुक्शान पंहुचाने की नियत से पटवारी कूडी ने बिना किसी सक्षम भू अभिलेख अधिकारी के आदेश के नक्शा किश्तवार मे मूल खसरा नंबर 10 मे से तरमीमी खसरा नंबर 897/10 लिखकर लाल स्याही से लट्ठा ट्रेस मे लकीरे खींचकर

बिना क्षेत्राधिकार के तथा बिना कब्जे के तरमीम कर दी तथा नक्शा ट्रेस मे कथित खसरा नंबर 897/10 के खातेदारान एवं पडोसी खातेदारान को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही तरमीम कर दी । उक्त तरमीम से खातेदारान के हित प्रभावित होने से उक्त तरमीम को हटाने बाबत तथा नक्शा किश्तवार की स्थिति दिनांक 7–7–2010 के अनुसार पुनः कायम करने बाबत जरिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–2–2014 के द्वारा उनके समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भूराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा को सरहद मौजा भाण्डियावास के मूल खसरा नंबर 10 मे से मुख्य सडक एन.एच. 112 से जुडती बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के की गई अवैद्य तरमीम बट्टा संख्या 897/10 को तत्काल हटाकर दिनांक 7–7–2010 के पूर्व की स्थिति को कायम किया जाकर सुधार की प्रविष्टि अंकित कर रेकर्ड दुरस्त कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश पारित किये तथा दोषी रहे कर्मचारियो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पेश करने के भी निर्देश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से लिखित बहस पेश हुई, जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भाण्डियावास के खसरा नंबर 10 की राजकीय भूमि मे समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियो को कृषि भूमि का आवंटन किया गया । इसी क्रम मे उक्त खसरा नंबर 10 मे से 30 बीघा भूमि जमना पत्नी रूगा विश्नोई को वर्ष 1970 मे आवंटन हुआ तथा उक्त भूमि जमना के नाम राजस्व रेकर्ड मे गैर खातेदार के रूप मे दर्ज हुई तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया जहां पर खातेदार ने काश्त करना प्रारंभ कर दिया । उक्त आवंटित भूमि मे से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर से बालोतरा हाईवे निर्माण करते समय काम मे ली गई जिससे 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 275 के जरिये सा0नि0विभाग के नाम दर्ज हुई । उक्त आवंटित भूमि मे से शेष 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 11–1–94 को गोपालकृष्ण पुत्र जयरूपराम को कर दिये जाने पर उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 646 स्वीकार किया गया । तत्पश्चात गोपालकृष्ण द्वारा अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का बेचान ठाकराराम पुत्र खेताराम जाट को कर दिये जाने पर नामांतरकरण संख्या 803 स्वीकार किया गया । ठाकराराम वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 ने

अपनी खरीदसुदा भूमि मे से 6 बीघा भूमि के खातेदारी भूमि का पंजीकृत बेचान वर्तमान अपीलांट को दिनांक 17–3–2011 को कर दिये जाने पर अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1482 स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 1482 का इन्द्राज जमाबंदी मे करते समय खसरा नंबर 897/10 के बजाय 1219/897 दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान मे अपीलांट के नाम दर्ज है । उक्त सम्पूर्ण 30 बीघा भूमि मे से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि सडक मे चली गई, इस कारण शेष बची 22 बीघा 10 बिस्वा रकबा सडक के चिपते दक्षिण की ओर बचा । उक्त सडक का निर्माण होने पर राजस्व नक्शे मे सडक की तरमीम लाल स्याही से नियमानुसार की गई तथा शेष बची भूमि सडक के दक्षिण तरफ जरिये तरमीम दर्शाई गई ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि उसके खाते मे सरहद मौजा भाण्डियावास के खसरा नंबर 10/859 की 24 बीघा भूमि है जो सडक पर स्थित है परंतु ठाकराराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2) की भूमि सडक पर तरमीम कर दी गई, जिसे निरस्त किया जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने मौके की रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को निरस्त करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–2–2014 को पारित कर दिया जबकि अपीलांट जो कि खसरा नंबर 1219/897 रकबा 6 बीघा भूमि का काबिज खातेदार है, उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि प्रभावित खातेदार को सुने बिना उसके अधिकारो को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित ही नही किया जा सकता था इसलिए अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश एवं अन्य राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति अपील पेश करने तथा अपील मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है, जिसे स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से जो रिपोर्ट तलब की गई उससे यह स्पष्ट था कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की तिथी से पूर्व रेस्पो0 ठाकराराम द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकारो का हस्तांतरण वर्तमान अपीलांट सहित अन्य व्यक्तियो को किया जा चुका था तथा वे मौके पर काबिज थे । ऐसे मे रेस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व था कि उन

सभी व्यक्तियो को पक्षकार बनाते तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस भूमि से संबंधित सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर इस बात का परीक्षण करना चाहिये था कि वास्तव मे नक्शे मे कोई त्रुटि हुई है अथवा नही क्योकि सडक का निर्माण जमनादेवी के खातेदारी की भूमि मे से ही किया गया था तो निश्चित रूप से जमनादेवी के पास जो शेष रकबा बचा वह सडक पर ही स्थित होगा न कि किसी अन्य स्थान पर । इसप्रकार शेष 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि को किसी अन्य स्थान पर नक्शे मे दर्शाया ही नही जा सकता था इसलिए रेस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही था क्योकि उसके कोई अधिकार राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम से प्रभावित नही होते है और न नक्शे मे कोई त्रुटि कारित की गई थी ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे इसी भूमि के संदर्भ मे एक राजस्व वाद संख्या 1/2011 पहले से ही पेश किया हुआ था जो विचाराधीन है तथा उस राजस्व वाद मे बाद शहादत के निर्णय पारित किया जायेगा, ऐसी स्थिति मे वाद के विचाराधीन रहते राजस्व रेकर्ड मे किसी तरह का बदलाव करना वाद बाहुल्य को बढावा देने के समान होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की कोई भूमि न तो किसी सडक पर स्थित है और न उसका कोई कब्जा है बल्कि अपीलार्थी अपनी कयसुदा एवं खातेदारी की भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज है तथा नक्शे मे जो तरमीम की गई है, वह मौके पर कब्जे के आधार पर की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच एवं रेस्पो0 संख्या 1 को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा कब्जे की जांच किये बिना तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही राजस्व रेकर्ड मे टेम्परिंग के माध्यम से नक्शा लट्ठा ट्रेस मे जिस जगह प्रार्थी का कब्जा है, उस स्थान पर खसरा नंबर 897/10 लिखकर लाल स्याही से नक्शे मे तरमीम कर दी तथा कथन किया कि मूल खसरा नंबर 10 मे किसी अन्य खसरा की कोई तरमीम अंकित नही है, मात्र एक खसरा नंबर 897 की तरमीम ही दर्ज की गई है, जो किसी भी रूप मे उचित नही है क्योकि तरमीम करने से पहले मूल खसरा नंबर 10 के अन्य तरमीमी खसरा नंबर जो 897/10 से पहले बने, के मौके की एवं रेकर्ड मे उसकी तरमीम का अंकन करना आवश्यक था ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पे0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 131 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं रेकर्ड की सही तथ्यो की रिपोर्ट भूमिधारक तहसीलदार से चाही, जिस पर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12–5–2011 को पेश की जिसके अनुसार मूल खसरा नंबर 10 का रेकर्ड अनुसार रकबा 202 बीघा 02 बिस्वा रहा किन्तु आवंटन मे आंवटियो को 222 बीघा 02 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गई, इस प्रकार 20 बीघा भूमि का अधिक आवंटन हुआ तथा मौके पर ऐसे व्यक्ति भी काबिज है जिनका उक्त खसरा नंबर 10 मे या खसरा नंबर 10 की तरमीमी खसरा मे कोई खातेदारी नही है । इसके अलावा मूल खसरा मे से रेकर्ड अनुसार सडक मे 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि काटा जाना बताया है जबकि मौके पर 11 बीघा भूमि सडक हेतु काम ली गई है, उक्त रिपोर्ट के पश्चात पुनः मौके की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु रिपोर्ट चाही जो अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16–1–2014 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार तरमीम की गई खसरा नंबर 897/10 की भूमि पर भूराराम (प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1) का कब्जा है तथा 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर चेनीदेवी संत का कब्जा है, ठाकराराम ने जिन व्यक्तियो को भूमि बेचान की, उसका कब्जा नही है तथा खसरा नंबर 897/10 की तरमीम मुख्य सडक एन.एच. 112 पर की गई है जो ठाकराराम के कब्जे मे बताई गई है उस पर ठाकराराम का कभी कब्जा काश्त नही रहा ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि खसरा नंबर 897/10 की जमाबंदी अनुसार ठाकराराम ही रेकर्ड मे दर्ज था और उसके द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर कुटरचना की थी और ठाकराराम एवं उसका भाई राजुराम रेकर्ड मे की गई अशुद्ध एवं बिना आधार की तरमीम को आधार बनाकर प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 भूराराम के कब्जे मे दखल कर रहे थे, जिस पर आवश्यक प्रकृति का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उक्त दोनो जनो के विरूद्ध दिनांक 3–1–2011 को प्रस्तुत किया । इसप्रकार दिनांक 3–1–2011 को वर्तमान प्रकरण मे अपीलांट का किसी प्रकार से कोई सरोकार खसरा नंबर 10 की भूमि या उसके तरमीम से नही था, मूल वाद जो स्थाई निषेधाज्ञा का था । उसके साथ आवश्यक प्रकृति का आवेदन पत्र 212 रा.का.अ. भी ठाकराराम व राजुराम के विरूद्ध पेश किया जिसमे दिनांक 15–4–2011 को खसरा नंबर 10 के रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखने बाबत स्थगन आदेश जारी हुआ । इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2011 मे मूल खसरा नंबर 10 या उसके किसी तरमीम खसरा नंबर 897/10 या अन्य किसी खसरे से अपीलांट का कोइ सरोकार नही था । रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी खसरा नंबर

857/10 एवं 859/10 थी, के स्थान पर खसरा नंबर 897/10 की तरमीम होना बता दिया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन था, उस वक्त वर्तमान अपीलांट खसरा नंबर 897/10 के खातेदार नही थे क्योकि खसरा नंबर 897/10 मे से दिनांक 17–3–2011 को भूमि खरीद की तथा उक्त दस्तावेज के आधार पारित म्युटेशन संख्या 268 को म्युटेशन अपील संख्या 3/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 27–9–2012 के जरिये अपास्त किया जा चुका था जिससे यह स्पष्ट साबित है कि अपीलांट का रेकर्ड मे दिनांक 27–9–2012 तक कोई अस्तित्व ही नही रहा । इसके अलावा मूल वाद संख्या 1/2011 विचाराधीन है और उसके रहते धारा 131 की कार्यवाही नही चल सकती थी । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट को तरमीम संबंधी विवाद की जानकारी पूर्व से ही थी ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने खसरा नंबर 897/10 मे से जमीन खरीद कर नये खसरा नंबर 1219/897 रकबा 6 बीघा का खातेदार होना अभिकथित किया है तथा रेकर्ड मे उक्त खसरा नंबर 1219/897 की तरमीम होना बताया है । जब मूल खसरा नंबर 897/10 की लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर निरस्त कर दी गई थी और ऐसे आदेश की पालना की कार्यवाही चल रही थी तो फिर निरस्तसुदा तरमीम मे से नये तरमीमी खसरा नंबर 1289/897 किसी भू अभिलेख अधिकारी के आदेश से किया गया, के संबंध मे अपील मे कोई उल्लेख नही है तथा यह भी उल्लेख किया कि जब मूल खसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है तो उसके संबंध मे उसके पश्चात वाली तमाम कार्यवाही स्वतः निरस्त होकर प्रभावहीन हो जाती है । अपीलांट ने वर्तमान अपील के साथ खसरा नंबर 1219/897 को तरमीम करने का आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, या ऐसा करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारो को या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–2–2014 को निरस्त कर दिया हो, के संबंध मे कोइ दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नही किये है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 का मौके पर कब्जा उस स्थान पर रहा है, जिस स्थान पर कथित रूप से खसरा नंबर 897/10 की तरमीम करने का उपक्रम किया और यदि तरमीम की ही जानी थी तो खसरा नंबर 10 के तमाम तरमीमी खसरा के खातेदारो को या जो मौके पर काबिज है, चाहे वे अतिक्रमी हो या खातेदार की हैसियत से उनको कोई सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर देने

के बाद एक विधिक प्रक्रिया के तहत ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही की जा सकती थी । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरमीम को प्रश्नगत किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया, उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आधार के एवं बिना किसी विधिक प्रक्रिया के प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई सबूत का अवसर दिये की गई है जो किसी भी रूप मे यथावत नही रखी जा सकती थी और यदि मूल तरमीम ही निरस्त कर दी गई तो ऐसी तरमीम या ऐसे तरमीमी खसरा नंबरान मे से नये बनने वाले तरमीमी खसरान को भी तरमीम किसी प्रभावित पक्षकार, पडोसी एवं काबिज पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक था ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 897/10 अनुसार खातेदार ठाकराराम स्वयं का कभी भी 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा नही रहा, जब ठाकराराम स्वयं का कब्जा ही नही रहा तो ठाकराराम द्वारा अन्य को कब्जा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तरमीम को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है, यदि मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा या हक है तो ऐसी भूमि की तरमीम मौके पर रेस्पो0 के कब्जे एवं रेस्पो0 के खातेदारी की भूमि के रकबे को ध्यान मे रखते हुए ही की जा सकती है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा बतोर खातेदार गत 40 वर्षो से अधिक समय से बिना किसी रोक टोक के रहा है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार ही नही है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन, परिसीमा कालावधि मे नही होने एवं गुणावगुणो पर भी आधारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । ग्राम भाण्डियावास के खसरा नंबर 10 की राजकीय भूमि मे से 30 बीघा भूमि जमना पत्नी रूगा विश्नोई को वर्ष 1970 मे आवंटन हुआ तथा उक्त भूमि जमना के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होकर मौके पर कब्जा काश्त है । उक्त आवंटित भूमि मे से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर से बालोतरा हाईवे निर्माण करते समय काम मे ली गई जिससे 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि के

संबंध मे म्युटेशन संख्या 275 के जरिये सा0नि0विभाग के नाम दर्ज हुई । उक्त आवंटित 30 बीघा भूमि मे से शेष 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 11–1–94 को गोपालकृष्ण पुत्र जयरूपराम को कर दिये जाने पर उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 646 स्वीकार किया गया । तत्पश्चात गोपालकृष्ण द्वारा अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का बेचान ठाकराराम पुत्र खेताराम जाट को कर दिये जाने पर नामांतरकरण संख्या 803 स्वीकार किया गया । ठाकराराम ने अपनी खरीदसुदा भूमि मे से 6 बीघा भूमि का पंजीकृत बेचान वर्तमान अपीलांट प्रवीण कुमार पुत्र प्रभुराम जाति गौड ब्राह्मण के पक्ष मे दिनांक 17–3–2011 को कर दिये जाने पर अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1482 स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 1482 का इन्द्राज जमाबंदी मे करते समय खसरा नंबर 897/10 के बजाय 1219/897 दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान मे अपीलांट के नाम दर्ज है ।

अपीलांट अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 भूराराम द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व रेकर्डेड खातेदार को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी, जो रेकर्ड पर उपलब्ध है । जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख था कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की तिथी से पूर्व रेस्पो0 ठाकराराम द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकारो का हस्तांतरण वर्तमान अपीलांट सहित अन्य व्यक्तियो को किया जा चुका था जिसमे से अपीलांट प्रवीण कुमार का 6.00 बीघा भूमि पर कब्जा है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व था कि उन सभी व्यक्तियो को पक्षकार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना था परंतु बिना पक्षकार बनाये एवं उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट को समय पर नही हो सकी इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के साथ जो अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह स्वीकार किया जाता है ।

प्रस्तुत अपील मे वर्णित ग्राम भाण्डियावास के खसरा नंबर 897/10 की 30 बीघा

भूमि जमना पत्नी रूगा विश्नोई के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। जिसमे से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि म्युटेशन संख्या 275 के जरिये सा0नि0विभाग के नाम गै.मु.सडक के नाम दर्ज हुई । शेष 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान जमनादेवी ने दिनांक 11–1–94 को गोपालकृष्ण पुत्र जयरूपराम को कर दिये जाने पर उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 646 स्वीकार किया गया । तत्पश्चात गोपालकृष्ण द्वारा अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का बेचान ठाकराराम पुत्र खेताराम जाट को कर दिये जाने पर नामांतरकरण संख्या 803 स्वीकार किया गया तथा ठाकराराम ने अपनी खरीदसुदा भूमि मे से 6 बीघा भूमि का पंजीकृत बेचान वर्तमान अपीलांट प्रवीण कुमार पुत्र प्रभुराम जाति गौड ब्राह्मण के पक्ष मे दिनांक 17–3–2011 को कर दिये जाने पर अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1482 स्वीकार किया गया । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि अपीलांट जो कि अपीलाधीन भूमि का क्रेता तथा रेकर्डेड खातेदार होते हुए उसे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस0डी0ओ0) बालोतरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–2–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनःअधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं रेस्पो0 गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत राजस्व वाद के निर्णय के मध्यनजर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर